

भारत के राजपत्र असाधारण, भाग-1, खण्ड I में प्रकाशनार्थ

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय
वाणिज्य भवन, नई दिल्ली

सार्वजनिक सूचना सं. 16 / 2023

दिनांक:- 21 जून, 2023

विषय: सिओन ई-121 में संशोधन।

समय-समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति, 2023 के पैरा 1.03 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक विदेश व्यापार एतद्वारा सिओन ई-121 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं:

सिओन सं.	निर्यात मद	मात्रा	क्र. सं.	संशोधित आयात आइटम	संशोधित मात्रा
ई-121	रिफाईंड सोयाबीन तेल (खाद्य ग्रेड) एफएफए अंश 0.25% से अधिक न हो	1 मी.ट.	1	*कच्चा सोयाबीन तेल (खाद्य ग्रेड)	1.02 मी.ट.
			2	कार्बोसिक लाइ (48% लाइ)	3.22 कि. ग्रा.
			3	फॉस्फोरिक एसिड	0.19 कि. ग्रा.
			4	साइट्रिक एसिड	0.50 कि. ग्रा.
			5	टॉन्सिल ब्लीचिंग अर्थ	9.87 कि. ग्रा.
				*टिप्पणी: आयात के समय, क्रम संख्या 1 पर आइटम के लिए निम्नलिखित शर्तों को पूरा किया जाना है। रेंज 1. एफएफए ----- 0.5 से 1.25% 2. फास्फोरस ----- 100 से 300 पीपीएम 3. नमी ----- 0.075 से 0.30% 4. अघुलनशील वाष्पशील ----- 0.10 से 0.15%	

इस सार्वजनिक सूचना का प्रभाव: रिफाईंड सोयाबीन तेल (खाद्य ग्रेड) के निर्यात के लिए मानक निविष्टि उत्पादन मानदंड सिओन ई-121 को संशोधित आयात पात्रता के साथ संशोधित किया गया है।

संतोष कुमार सारंगी
21.6.2023
(संतोष कुमार सारंगी)

महानिदेशक विदेश व्यापार एवं
पदेन अपर सचिव, भारत सरकार
ईमेल: dgft@nic.in